COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

<u>न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल म.प्र.</u>

प्र.क्र. निग -2121- PBR-16

कुरवई एजुकेशन सोसायटी
(आल सेन्ट्स स्कूल)
अधिकृत व्यक्ति – डॉ. जफर मेंहदी
पुत्र – श्री मेंहदी अली खान
ए–108 अल्कापुरी हबीबगंज भोपाल .... आवेदक/अपीलार्थी,

विरूद्ध

मो. शोएब सिद्धीकी
आत्मज श्री मो. लईक सिद्धीकी
निवासी – म.नं. 201 शक्तिनगर
हबीबगंज नाके के पास भोपाल .... अनावेदक/प्रतिप्रार्थी,

<u>पुनरीक्षण – अंतर्गत धारा –50 म.प्र. भू राजस्व संहिता</u>

<u>आवेदक माननीय अधिनस्त न्यायालय – अनुविभागीय अधिकारी वृत्त हिरदाराम नगर (बैरागढ) जिला भोपाल द्वारा प्रकरण कं. 58/अपील/2014–15– कुरवई एज्यूकेशन सोसायटी बनाम मोहम्मद शोयेबे सिद्धीकी में पारित आदेश दिनांक 30.05.16 से दुखी एवं असंतुष्ट होकर निम्न तथ्यों, आधारों पर पुनरीक्षण – याचिका प्रस्तुत करता है।</u>

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2121–पीबीआर/2016 — **जिला भोपाल**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
04–07–2016	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30–5–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र इस निष्कर्ष के निरस्त किया गया है कि अनावेदक द्वारा आवेदक के विरूद्ध व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है, परन्तु व्यवहार न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त इस न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश का कियान्वयन स्थगित किया गया है, इससे आवेदक के हित संरक्षित हो गये हैं। आवेदक द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि प्रकरण में विधि का गंभीर प्रश्न निहित है, ऐसी स्थिति में प्रचलित अपील में कार्यवाही स्थगित नहीं की जा सकती है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही प्रथमदृष्टया वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित है, अतः यह निगरानी आधारहीन होने के अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	